CANCELLED

ep 20/-

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प, सागर

निगरानी 146-I-15

मुसं विद्याबाई पुत्री जंगी पटैल पति गोपाल पटैल

निवासी-ग्राम बिलहरा, तह. व जिला पन्ना

...आवेदिका

॥ विरुद्ध ॥

म.प्र. शासन

द्वारा-कलेक्टर पन्ना, तह. व जिला पन्ना ...अनावेदक

प्र0क्र0

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

B.O.R.

2 JAN 2015

श्री राजेश पाण्डे "R30" द्वारा प्रस्तुत.
4/1/15
प्रवाचक
कार्यालय कमिश्नर, सागर सम्भाग, सागर (म.प्र.)

आवेदिका निम्नलिखित प्रार्थना करती है:-

आवेदिका अतिरिक्त कमिश्नर सागर द्वारा प्र.क्र. 1383/अ-19/96-97 में पारित आदेश दिनांक 29.6.06 के विरुद्ध यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

165
02-01-15

संक्षिप्त तथ्य-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आराजी नं. 187 जुज रकबा 1.20 हैक्टेयर व आराजी क्रमांक 466 रकबा 0.80 हैक्टेयर भूमि स्थित ग्राम बिलहरा तह. व जिला पन्ना आराजी म.प्र. शासन की भूमि थी जिस पर आवेदिका का सन् 1979-1980 से वृक्ष लगाकर अतिक्रमण के रूप में लगातार कब्जा किये चली आ रही है आवेदिका एक आदिवासी महिला है। अतिक्रमण किये जाने के कारण व विवादित भूमि पर आवेदिका के वृक्ष लगे होने के कारण नायब तहसीलदार पन्ना द्वारा रा.प्र.क्र. 43अ-61/वर्ष 86-87 में पारित आदेश दिनांक 29.8.87 द्वारा आराजी नं. 187 रकबा 0.80 हैक्टेयर में वृक्ष लगाने हेतु विधिवत् पट्टा

7-1-15

16-1-15

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

(30)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक **निगरानी 146–एक/2015** **जिला पन्ना**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–03–2015	आवेदक अधिवक्ता को कायमी के बिन्दु सुना गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 1383/अ–19/1996–97 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 29–9–2006 से परिवेदित होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक द्वारा कायमी के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर मनन किया तथा आलोच्य आदेश दिनांक 29–9–06 का अवलोकन किया । अपर आयुक्त अपने प्रश्नाधीन आदेश में यह स्पष्ट किया है कि उनके न्यायालय में कलेक्टर जिला पन्ना के प्रकरण कमांक 1009/डोइट/1995 में पारित आदेश दिनांक 28–7–95 का कोई आदेश नहीं है बल्कि पृष्ठांकन कमांक है जिसकी नकल भी उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में बिना प्रतिलिपि के प्रस्तुत निगरानी प्रथमदृष्टया ग्राह्य योग्य नहीं होने से निरस्त की गई है । अपर आयुक्त द्वारा पारित उपर्युक्त आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है। अतः यह निगरानी प्रचलन योग्य नहीं होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	